राजस्व विविध सं. 2023/268 बअनवान तहसीलदार बाली बनाम टीपू चौधरी वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री नेकाराम चौधरी द्वारा बहस में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थीगण की नहीं है बल्कि दिनांक 21.08.2023 को हुये विभाजन के बाद अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खसरा नंबर 2166/273 एंव अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के नाम खसरा नंबर 2167/374 दर्ज हुये है। अप्रार्थी संख्या 01 टीपू चौधरी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2166/374 कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नहीं लिया जा रहा है। यह कृषि भूमि ही है। खसरा नंबर 2167/374 अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित करवा दी गई है तथा नगरपालिका खुडाला–फालना द्वारा पट्टा कमांक 4175 दिनांक 07.08.2024 को इन अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया जा चुका है। जिससे प्रकरण में धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने से कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की दलील दी गई। विद्वान वकील अप्रार्थी पक्ष श्री नेकाराम. चौधरी ने प्रकरण में आर.आई. खुडाला द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कर दलील दी कि स्वयं निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 2166/374 रकबा 0.2162 हैक्टर मौके पर खाली पडा होने तथा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना स्वीकार किया है जिससे प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की दलील दी। उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा न तो निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों एवं न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खंडन किया जिससे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 2166/374 पर कोई अकृषि गतिविधि नहीं हो रही है व खसरा नंबर 2167/374 वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ परिर्वतन होकर आवासीय पट्टे जारी हो चुके है जिससे अब उक्त प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner